क्रम-संख्या—349

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 29 मई, 1978

ज्येष्ठ 8, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1539/सत्रह-वि0-1—48-78

लखनऊ, 29 मई, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 28 मई, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1978)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1), (1-क) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति या सभा सचिव के पद पर आसीन न हो, नियमों द्वारा विहित की जाने वाली रीति और दिनांक से—

(क) ऐसी धनराशि के मूल्य के निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा;

(ख) ऐसी धनराशि के मूल्य के निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा, प्रति वर्ष पन्द्रह हजार किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा जिसे राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे :

परन्तु ऐसा सदस्य ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाय, रेल यात्रा में अपने साथ एक सहवर्ती ले जाने के लिए भी निम्नलिखित दशाओं में उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकता है—

(एक) यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में अधिक से अधिक दो बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने के लिए और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए;

(दो) महिला सदस्य की स्थिति में ऐसी यात्रा के लिए जो उसके द्वारा ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात् अपने निवास स्थान को वापसी के लिए की जाय :

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार यात्रा का कुल व्यय जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर की गयी यात्रा का व्यय भी है, ऐसी अधिकतम सीमा के अधीन होगा जैसा खंड (ख) के अनुसार अवधारित किया जाय :

परन्तु यह भी कि जहां खण्ड (ख) के अधीन अवधारित कूपनों का मूल्य एक सौ रुपये का गुणक न हो, वहां उसे एक सौ रुपये के निकटतम गुणक में पूर्णांकित किया जायगा, अर्थात् एक सौ रुपये का वह भाग जो पचास रुपये से कम हो, उसे छोड़ दिया जायगा और किसी अन्य भाग की गणना एक सौ रुपया की जायगी;

(ग) निःशुल्क असंक्रमणीय पास दिया जायगा जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा, उच्चतम श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री-कर का भुगतान किये बिना यात्रा करने का हकदार होगा ।

(2) सार्वजनिक कार्यों के संबंध में अपेक्षित यात्राओं से भिन्न यात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, जो उपधारा (1) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो, उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा के लिए धनराशि मूल्य कूपन दिये जायेंगे और वे ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए उक्त कूपनों का प्रयोग करने के हकदार होंगे, किन्तु इस प्रकार कुल दूरी, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर, की गयी यात्रा की दूरी भी है, पन्द्रह हजार किलोमीटर प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी ।

स्पष्टीकरणः—उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिये—

(एक) उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा की दूरी की संगणना करने में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायगी।

(दो) पद 'वर्ष' का तात्पर्य बारह मास की उस कालावधि से है, जो पहली जून से आरम्भ होकर आगामी 31 मई, को समाप्त हो।

(3) ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों या कार्यों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा—

(क) उक्त प्रयोजनों के लिए, यात्रा के लिए, अर्थात्, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, अधिक से अधिक किसी कलेन्डर मास में दो बार केवल बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास-स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय;

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलायी गयी बैठक में भाग लेने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के संबंध में जो समिति की बठक से भिन्न हो, समिति के सभापति के रूप में उनके द्वारा अधिक से अधिक किसी कलैन्डर मास में दो बार केवल लखनऊ आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्राओं के लिए आनुषंगिक व्यय; और

(घ) पन्द्रह रुपये की दर से दैनिक भत्ता :

परन्तु नेता, विरोधी दल को कोई दैनिक भत्ता देय न होगा।

स्पष्टीकरणः—इस अधिनियम में पद "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के ऐसे सदस्य से है जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।"

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (3) निकाल दी जायगी। धारा 5 का संशोधन

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1539/XVII-V-1—48-78

Dated Lucknow, May 29, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyon Ka) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 28, 1978.

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 19 OF 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments and Pension) Act, 1952

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1978.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. XII of 1952.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments and Pension) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-sections (1), (1-A) and (2), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:—

"(1) Each member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council, who does not hold the office of Minister, Speaker, Chairman, Deputy Minister, Deputy Speaker, Deputy Chairman or Parliamentary Secretary, shall be provided, in the manner and from the date to be prescribed by rules—

(*a*) with free non-transferable rail travel money value coupons entitling him to travel in first class within Uttar Pradesh, at any time and by any railway ;

(*b*) with free non-transferable rail travel money value coupons of such value as may entitle him to travel in first class outside Uttar Pradesh at any time and by any railway to a maximum limit of 15,000 Kilometres per year, as the State Government may, from time to time, determine in consultation with the Railway Board :

Provided that such member may in such manner as may be prescribed by rules, use the said coupons, for journey by rail also for taking with himself one companion in the following cases—

(i) for each session of the Legislative Assembly or the Legislative Council, as the case may be, not more than twice, for coming to Lucknow from the railway station nearest to the place of his residence and going back from Lucknow to such railway station ;

(ii) in the case of a woman member, for such journey, as if performed by her for her attendance required in connection with her duties and functions as such member and for return, after such attendance, to her place of residence :

Provided further that such member may, in such manner as may be prescribed, use the said coupons, for taking with him other members of his family also in journeys by rail within or outside Uttar Pradesh, so, however, that the cost of journeys in aggregate, including the cost of journeys made by him outside Uttar Pradesh and by the members of his family whether within or outside Uttar Pradesh, shall be subject to the maximum limit as may be determined in accordance with clause (*b*) :

Provided also that where the value of the coupons determined under clause (*b*) is not a multiple of one hundred rupees, the same shall be rounded off to nearest multiple of one hundred rupees, that is to say a part of hundred rupees which is less than rupees fifty shall be ignored and any other part shall be counted as one hundred rupees ;

(*c*) with free non-transferable pass entitling him to travel within the State of Uttar Pradesh at any time by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation bus, in the highest class, if any, without payment of passenger tax due under any law for the time being in force.

(2) For journeys other than those required in connection with public business, each member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council who holds any of the offices mentioned in sub-section (1) shall be provided with free non-transferable rail travel money value coupons mentioned in clauses (*a*) and (*b*) of sub-section (1) and shall be entitled

to use, in such manner as may be prescribed, the said coupons for taking with him other members of his family also in journeys by rail within or outside Uttar Pradesh, so, however, that such distance in aggregate, including the distance of journeys made by him outside Uttar Pradesh and by the members of his family whether within or outside Uttar Pradesh, shall be, subject to the aforesaid maximum limit of 15,000 Kilometres per year.

Explanation—For the purposes of sub-sections (1) and (2)—

(i) the distance between any two railway stations within the limits of Uttar Pradesh shall be excluded in computing the distance of journeys by rail outside Uttar Pradesh ;

(ii) the expression 'year' means a period of twelve months commencing on the first day of June, and ending on the 31st day of May next following.

(3) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, each member referred to in sub-section (1) shall be entitled for his attendance required for purposes connected with his duties or functions as such member, to— :

(*a*) incidental charges for journeys for the said purposes, namely, for attendance in each session of the Legislative Assembly or Legislative Council, as the case may be, or at any sittings of any committee thereof, only for coming to the place of sitting and going back to his residence not more than twice in a calendar month ;

(*b*) incidental charges for participating in a meeting called by the Speaker or the Chairman, as the case may be, for coming to the place of meeting and for going back to his residence;

(*c*) incidental charges for journeys performed by him as Chairman of a Committee in connection with the work of the Committee, other than a meeting of the Committee, for coming to Lucknow and for going back to his residence not more than twice in a calendar month ; and

(*d*) daily allowance at the rate of rupees fifteen :

Provided that no daily allowance shall be payable to the Leader of the Opposition.

Explanation—In this Act, the expression 'the Leader of the Opposition' means the member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly who is for the time being recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly."

3. In section 5 of the principal Act, sub-section (3) shall be *omitted*. Amendment of section 5.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 64 सा०(विधा०)—29-5-78—(665)—1978—800 (मेक०)।